न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

प्र0नं0 – 24/21

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट कड़वासरा निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुरेश कड़वासरा पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट कड़वासरा निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. प्रतापसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. गायत्री पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल **: वादी**

वकील श्री रविन्द्र मोटसरा **: प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 09/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 59/56 के मुरबा नं0 7 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मुरबा नं0 8 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0, मुरबा नं0 29 के किला नं0 1 ता 20 की 5.060 है0 कुल 13.915 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि जिसमे नहरी 13.675 है0 गै0मु0रास्ता 0.065 है0, गै0 मु0 खाला 0.175 है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह के नाम से 412–1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक् 7 एएमएस के खाता सं0 64/52 के मु0नं0 35 के किला नं0 18, 19, 22, 23 की कुल 1.012 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 की कुल 2.530 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की प्रत्येक की कुल 0.253 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10, प्रत्येक 0.253 है0 मु0नं0 48 के किला नं0 3 ता 8 व 13 ता 16 प्रत्येक की 0.253 है0, कुल क्षेत्रफल 12.903 है0 जिसमें से नहरी 12.485 है0, गै0मु0 रास्ता 0.142 है0, गै0 मु0 खाला 0.276 है0 नहरी खातेदारी का[illegible] कृषि भूमि स्थित है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 धर्मसिंह के नाम[illegible]

वादीगण, प्रतिवादीगण[illegible] सदस्य है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जयदाद पैतृक सम्पति है ज[illegible]धर्मसिंह को अपने पिता[illegible] से विरासतन प्राप्त हुई है वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण सं0 2 ता 3 का भी जन्म से हक निहित है। परन्तु प्रतिवादी धर्मसिंह परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी धर्मसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रतिवादी सं0 3 वादीगण की सगी बहन है प्रतिवादीया सं0 3 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हक हिस्से को अपने पिता व भाईयों के पक्ष में बहिस्सा बराबर तक कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। अब वाद भूमि में प्रतिवादिया सं0 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी कृष्ण कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 3 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 59/56 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 7 एएमएस के खाता सं0 64/52 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू प्रबन्ध विभाग3 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये तथा सदस्य प्रमाण पत्र एवं फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने जाहिर किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादिया सं0 3 वादीगण की बहिन है जिसने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दी है।

हमारे द्वारा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण वादीगण ने चक 3 जेजीडब्ल्यु व चक 7 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू प्रबन्ध विभाग 3 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 पेश की है जिनमें वाद भूमि वादीगण के दादा चन्दूराम वल्द रतनाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र में धर्मसिंह के जायज सदस्यों में पत्नि शकुन्तला, एक [illegible] तीन पुत्र [illegible]सिंह, कृष्ण कुमार, सुरेश कड़वासरा होना व इनके अलावा अन्य कोई स[illegible] होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के [illegible] डिक्री किया जाता है तथा

अत : वाद वादी[illegible] डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 जेजीडब्ल्यु के खा[illegible] सं0 59/56 के मुरबा नं0 7 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मुरबा नं0 8 के किला नं0 1 ता 20 की 5.060 है0 किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0, मुरबा नं0 29 के किला नं0 1 ता 20 की 5.060 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

कुल 13.915 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें नहरी 13.675 है0, गै0मु0रास्ता 0.065 है0, गै0 मु0 खाला 0.175 है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 धर्मसिंह के नाम से 412–1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 एएमएस के खाता सं0 64/52 के मु0नं0 35 के किला नं0 18, 19, 22, 23 की कुल 1.012 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 की कुल 2.530 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 प्रत्येक 0.253 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 3 ता 8 व 13 ता 16 प्रत्येक की 0.253 है0, कुल क्षेत्रफल 12.903 है0 जिसमें से नहरी 12.485 है0, गै0मु0 रास्ता 0.142 है0, गै0 मु0 खाला 0.276 है0 नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 धर्मसिंह के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया सं0 3 गायत्री ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:28 IST
Reason: SelfAttested